क्रम-संख्या–164

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 जून, 2007

आषाढ़ 7, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 401/79-वि-1–07-1(क)10-2007.

लखनऊ, 28 जून, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 2 मार्च, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 1 जनवरी, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(3) निगम सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जाएगा और न कि अंश और अंशधारकों वाली राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त एक कम्पनी या निगम समझा जाएगा।"

धारा 7 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"7(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी निगम के अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा और निगम के प्रबन्धकीय कृत्यों पर कोई प्राधिकार नहीं होगा। निगम के प्रबन्धकीय कृत्यों का निष्पादन प्रबन्ध निदेशक और निगम के अन्य अधिकारियों द्वारा निगम के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुये किया जाएगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 3 तथा 7 के उपबन्धों के आशय को लोकहित में स्पष्ट और सुव्यक्त करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम को यह स्पष्ट करने के लिये संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है कि निगम सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा और न कि राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त एक कम्पनी या निगम समझा जाएगा और निगम के अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं समझा जायेगा और इसमें निगम के कोई प्रबन्धकीय कृत्य नहीं होंगे।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 401/LXXIX-V-1-07-1(Ka)-10-2007
Dated Lucknow, June 28, 2007

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewer Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 2, 2007.

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 5 OF 2007)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 1, 2003.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 43 of 1975

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted* namely:–

"(3) The Nigam shall for all purposes be deemed to be a local authority and not a company or a corporation owned by the State Government having shares and share-holders."

Amendment of section 7

3. In section 7 of the principal Act *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

"7(3) Notwithstanding anything, to the contrary contained in any other procession of this Act, or in any other law for the time being in force, the office of the Chairman of the Nigam shall not be deemed to be an office of profit, and shall have no authority on managerial functions of the Nigam. The managerial functions of the Nigam shall be performed by the Managing Director and other officers of the Nigam subject to the control and supervision of the Nigam."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to making, the intention of the provisions of sections 3 and 7 of the Uttar Pradesh Water Supply & Sewerage Act, 1975 (U.P. Act no. 43 of 1975) clear and precise in the public interest, it has been decided to amend the said Act to clarify that the Nigam shall for all purposes be deemed to be a local authority and not a company or corporation owned by the State Government and the office of the Chairman of the Nigan shall not be deemed to be an office of profit and shall have no managerial functions of the Nigam.

The Uttar Pradesh Water Supply & Sewerage (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 239 सजपत्र (हि0)–(593)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 114 सा० विधा० –(594)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।